न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 24/2022

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्यामलाल पुत्र शिवलाल लौहार जाति लौहार निवासी— अटबड़ा, तहसील— सोजत जिला— पाली		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:—

1. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक — 10/10/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आपसी पारिवारिक समझौता बंटवाडा के अनुसार प्रार्थी के सरहद मौजा अटबडा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1945, 1946/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6250 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक की दर्ज की गई जो संलग्न नक्शें में प्रमाणित प्रतिलिपि में हरे रंग से दर्शाया गया है। खसरा नंबर 1945 व 1946 के पूर्व दिशा में सरहद मौजा छितरीया की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। इस कृषि भूमि खसरा नंबर 1945 के पूर्व व पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 4504/1945 रकबा 1.5000 हैक्टर मिसरा पुत्र भोपाल हिस्सा 01/02, शैतान पुत्र भोपाल हिस्सा 01/02 जाति रायका साकिन हेह खातेदार दर्ज है तथा इस खसरे के पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 1944 रकबा 1. 7000 हैक्टर स्थित है जो भी मिसरा पुत्र भोपाल हिस्सा 01/02, शैतान पुत्र भोपाल हिस्सा 01/02 जाति रायका साकिन देह खातेदार दर्ज है। इन दोनों खसरों का इस नक्शें की प्रमाणित प्रतिलिपि में रंग नहीं भरा गया है। इस खसरा नंबर 1945 के पश्चिम में व खसरा नंबर 1944/1 रकबा 0.8100 हैक्टर के पूर्व में खसरा नंबर 1945/01 रकबा 0.0300 हैक्टर व इस खसरा नंबर 1945/1 के दक्षिण में खसरा नंबर 1946/3 रकबा 0.0600 हैक्टर व इस खसरा नंबर 1946/3 के दक्षिण में खसरा नंबर 1946/2 रकबा 0.0850 हैक्टर स्थित है जो जालाराम पुत्र मेमाराम के खातेदारी हक का दर्ज है। खसरा नंबर 1946/2 के पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 1944/2 रकबा 0.8100 हैक्टर स्थित है जो भी जालाराम पुत्र पेमाराम के खातेदारी हक का दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि व आसपास की कृषि भूमि का नया नक्शा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बनाया गया उसमें त्रुटिवश खसरा नंबर 1945 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 4504/1945 दर्ज कर दिया गया जबकि यह खसरा वास्तव में मौके के एवं जो रंगीन नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई है उसमें यह खसरा नंबर 1945 के उतर व पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 1944 के पूर्व दिशा में दर्ज किया गया है जो बिना रंग भरे दर्शाया गया है। खसरा नंबर 1945/1, 1946/3 के नंबर नहीं दिए गए है जो एक लिपिकीय त्रुटी है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जो नक्शा रेकर्ड वर्तमान में जारी किया गया है, उसमें त्रुटिवश खसरा नंबर 4504/1945 को खसरा नंबर 1945 के उतर पश्चिम के स्थान पर पूर्व दिशा में दर्शा दिया गया है उसे दुरूस्त करवाकर राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 1945 के उतर व पश्चिम दिशा में प्रमाणित प्रतिलिपि रंगीन नक्शे के अनुसार दर्शाया जाने तथा खसरा नंबर 1945 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में जो खसरा दर्शाया गया है उसे खसरा नंबर 1945/1 दर्ज किया जाने एवं खसरा नंबर 1946/1 के पश्चिम दिशा में जो अलग से खसरा दर्शाया गया है उसे 1946/3 दर्ज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने अपने जबाब पत्र में अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि छितरिया में स्थित है। बाकी पैरा प्रार्थी स्वयं साबित होना व कानूनी बताया है।

तहसीलदार सोजत से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2269 दिनांक 17.08.2022 के जरिए मौका रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि नामा0 संख्या 3029 के जरिए खसरा नंबर 1945 रकबा 2.6300 है0 का विभाजन हुआ जिसमें बंटवाड़ा पश्चात खसरा नंबर 1945 रकबा 2.6000 है0 श्यामलाल पुत्र शिवलाल सायरी पत्नि शिवलाल जाति लौहार सा0 देह खातेदार के नाम तथा 1945/1 रकबा 0.0300 है0 दिनेश कुमार पुत्र प्रेमराज जाति लौहार के नाम दर्ज है जिसका नामा0 संख्या 3029 की पुश्त पर नजरी नक्शा दर्शित है जो संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 01 में दर्शाया गया है। नक्शा लटटा में नामा0 पुश्त अनुसार तरमीम न होकर संलग्न हल्का पटवारी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 02 में दर्शाये अनुसार दर्ज है तथा इसी अनुसार तरमीम आनलाइन नक्शे में भी दर्ज है। वर्तमान मौके पर कब्जा नामा0 संख्या 3029 में बंटवाड़ा अनुसार ही है जो कि वर्तमान आनलाईन तरमीम लटटा ट्रेस से भिन्न है जो संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 03 में दर्शाया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 1945 रकबा 2.6000 किस्म बा0अ0 श्यामलाल पुत्र शिवलाल जाति लौहार तथा खसरा नबर 1945/1 रकबा 0.0300 किस्म बा0अ0 जालाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज है। वर्तमान मौका कब्जा अनुसार एवं बंटवाडा नामा0 संख्या 3029 के पुश्त पर दर्ज नक्शे अनुसार तरमीम दुरूश्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि जो नक्शा रेकर्ड वर्तमान में जारी किया गया है, उसमें त्रुटिवश खसरा नंबर 4504/1945 को खसरा नंबर 1945 के उतर पश्चिम के स्थान पर पूर्व दिशा में दर्शा दिया गया है उसे दुरूस्त करवाकर राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 1945 के उतर व पश्चिम दिशा में प्रमाणित प्रतिलिपि रंगीन नक्शे के अनुसार दर्शाया जावे था खसरा नंबर 1945 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में जो खसरा दर्शाया गया है उसे खसरा नंबर 1945/1 दर्ज किया जावे एवं खसरा नंबर 1946/1 के पश्चिम दिशा में जो अलग से खसरा दर्शाया गया है उसे 1946/3 दर्ज किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार, सोजत ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रमाणित जमाबंदी संवत् खातेदार मिश्रा व शैतान, जालाराम व मदनलाल, श्यामलाल, 2074–77, जमाबंदी खसरा नबर 1946, नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1945, 4504/1945, 1945/4568, 1946/1, जमांबदी खैवट खतौनी संख्या 1359 संवत् 2066–69, वर्तमान नक्शा ख0न0 1945, 4704/1945, 194621, 1944,. प्रा0 पत्र तथा तहसीलदार सोजत से प्रस्तुत तथ्यात्मक राजस्व रेकर्ड आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा मार्क अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि नामा0 संख्या 3029 की पुश्त पर अंकित नक्शा मार्क ए से डी अनुसार राजस्व लठ्ठा में तरमीम नही की जाकर नजरी नक्शा मार्क ई से एच अनुसार कर दी गई जो ऑनलाईन तरमीम व लट्ठा ट्रेस से भिन्न है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 स्वीकार किया जाना तथा नामा0 संख्या 3029 की पुश्त पर अंकित नक्शा मार्क ए से डी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाकर तदोनुसांर अमल दरामद कर तरमीम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम अटबड़ा, पटवार हल्का व तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में स्थित 1945, 1945/1, 1504/1945 की तरमीम तहसीलदार, सोजत मय पटवारी की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 01 में दर्शित नजरी नक्शा मार्क ए से डी अनुसार दुरूसत किये जाने का आदेश दिया जाता है। यह नजरी नक्शा इस आदेश का आवश्यक भाग रहेगा। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय एवं तहसीलदार सोजत की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)